नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जॉरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

...0स0 – 99/2016

उनवान

सुर्यभान सिंह पिता उम्मेद सिंह राजपूत नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

—————————(प्रार्थी)

बनाम

रज्जाक मोहम्मद पिता अली मोहम्मद मुसलमान नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
शफी मोहम्मद पिता निजाम मोहम्मद मुसलमान नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
काना पिता गोकल चमार नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
गोपाल पिता बालु चमार नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
श्रवण पिता रूपा चमार नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
सुखा पिता बालु चमार नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
बेंक आफ बडौदा शाखा डाबला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

—————————(अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : **दिनांक – 27.12.2016**

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 195 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कुण्डियाकंल पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्य 1303 के आ0न0 2134, 2135 कुल किता 02 कुल रकबा 16–01 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि व विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीम संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहत हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि **खाता संख्या 1303 के आ0न0 2134, 2135 कुल किता 02 कुल रकबा 16–01 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक रायला को 1700/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।